ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 47-48

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

मानवाधिकार एवं महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति

प्रमोद कुमार चौरसिया
असि0 प्रोफेसर– शिक्षा शास्त्र संकाय, राम गिरीश राय पी0 जी0 कालेज, दुबौली,
गोरखपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 24.08.2020, Revised- 28.08.2020, Accepted - 03.09.2020 E-mail: - pkch86@gmail.com

सारांश : *विश्वयुद्ध के एक अंधकारपूर्ण क्षण में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने युद्धोत्तर विश्व मानव के लिए एक घोषणा पत्र का ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 के महासभा अधिवेशन में मानवाधिकार आयोग की घोषणा की। इस घोषणा में मानवाधिकार के दो भाग बनाये गए– प्रथम भाग में व्यक्ति के राजनितिक एवं नागरिक अधिकार तथा द्वितीय– अपेक्षाकृत नवीनतम, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख किया गया।*

मानवाधिकार आयोग की घोषणा में मानव को गरिमामय जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, गुलामी और पराधीनता से स्वतंत्रता, अत्यन्त कठोर अमानवीय और अपमान जनक व्यवहार, कानून का समान संरक्षण, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, सार्वजानिक कार्यो तथा राजनीति में भाग लेने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सामुदायिक जीवन में भाग लेने का अधिकार आदि महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया।

कुंजीभूत शब्द– अंधकारपूर्ण, घोषणा पत्र, महासभा अधिवेशन, मानवाधिकार, आयोग, राजनितिक, नागरिक ।

मानवाधिकार की अवधारणा यह कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह प्राकृतिक अधिकार है कि उसे सम्मानपूर्ण और गरिमामय जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाय। इस प्रकार मानवाधिकार व्यक्ति के गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है। मानवाधिकार की सर्वव्यापी व्यवस्था का उद्देश्य सभी समाजों में व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए परिस्थितियों का पुनर्निर्माण करना है। महिलाये विश्व की आवादी का आधा हिस्सा है, फिर भी महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन और लिंग आधारित हिंसा व्यापक पैमाने पर जारी है। भारत में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति 24 मिनट में एक महिला यौन शोषण, प्रति 43 मिनट में अपहरण, प्रति 54 मिनट में बलात्कार का शिकार महिलाएं हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसार प्रति 8 सेकेण्ड में एक महिला यौन शोषण तथा प्रति 6 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है।

लिंग आधारित भेद भाव के पीछे सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक स्वार्थ बताएं जाते है। लिंग के आधार पर भेद–भाव का बड़ा कारण यह है कि पुरुष और महिला की भूमिका में निरंकुश तरीके से विभाजन किया गया हैं। लिंग भेद और शोषण की प्रकृति अपने चरम पर उस समय प्रकट होती है जब नारी को धन या सम्पत्ति के रूप में भोग विलास और उत्पादन के साधन के रूप में देखा जाता हैं। महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन उसके जन्म लेने से पहले भ्रूण हत्या के रूप में आरम्भ हो जाता है। भारत में भ्रूण जाँच पद्धति के कारण महिला लिंगानुपात में ह्रास हो रहा है। वर्ष 1902 में लिंगानुपात 972 था, जबकि वर्ष 2001 में लिंगानुपात 933 हो गया। भ्रूण जाँच कराने के प्रतिबन्ध प्रतिबन्ध के बाद लिंगानुपात में थोड़ी वृदि हुई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लिंगानुपात 940 हो गया।

इस प्रकार महिलाओं से उनके मौलिक मानवाधिकार 'जीने का अधिकार' को भी छिना जा रहा है। हमारे समाज में बीटा पाने की ललक जगजाहिर है जबकि बेटी को बोझ समझा जाता है और उस तथा उसकी शिक्षा पर किया गया व्यय व्यर्थ समझा है। यही कारण है कि विभिन्न जनगणना आकड़ों के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से काम बनी हुई है। महिलायें चाहे वे ग्रामीण हो या शहरी हिंसा की शिकार होती रहती है। इस कारण न तो वे अपने मानवाधिकारों का उपयोग कर पाती है नहीं देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में आपना सहयोग कर पाती है। महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपेक्षा, भेद–भाव, प्रताड़ना एवं अत्याचरों आदि का सामना करना पड़ता है। अधिकतर महिलाये अज्ञान वश, अशिक्षा, धार्मिक प्रतिबन्ध या पति या परिवारों वालो की इच्छा के कारण जनन पर नियंत्रण नहीं कर पाती है। इस कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किशोरियों का अपहरण तथा उनके साथ दैहिक शोषण की घटनायें बढ़ी है। महिलाओं को जन्म भर मरना, तरह–तरह की शारीरिक एवं मानसिक यातनाए देना इत्यादि की घटनाएं बढ़ी है। यह सभी महिलाओं की गिरती सामाजिक प्रस्थिति का कारण है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ आहार भी भेद–भाव किया जाता है। समय में व्याप्त दोहरे मापदण्ड़ों के कारण महिलाओं से उनके स्वच्छंद और स्वतंत्र वातावरण में रहने का मानवाधिकार भी छीन लिया गया है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि एक महिला को बचपन में पिता या भाई के साथ, विवाह के बाद पति, पति के बाद पुत्र के संरक्षण में जीवन बिताना पड़ता। है उनके जीवन के फैसले पर उनका अपना नियंत्रण नहीं होता है। काम उम्र में विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ उनके व्यक्तित्व को उभरने नहीं देता है।

महिला मानवाधिकारों हैं उनके कार्यस्थल पर स्त्री–पुरुष के समान कार्य के लिए असमान वेतन तथा महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण के रूप में दिखाई देता है। आर्थिक स्थितियों मजबूर होकर महिलाओं को घर से बाहर निकालकर काम करके धन कमाना पड़ता है।

भारत में पितृसतात्मक व्यवस्था भी महिलाओं की गिरती सामाजिक प्रस्थिति का कारण है। परिवार में पुरुष को महत्त्व दिया जाता है। उसके निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाता है। जबकि महिलाओं से किसी विषय सम्बन्धित राय भी नहीं ली जाती है। महिलाओं को दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। उन्हें व्यवसाय भी करना होता है। अपने घर में अपनी घरेलु भूमिका भी अदा करनी पड़ती है।

महिलाओं के साथ किये जा रहे भेद–भाव को दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। भारत में महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। यह आयोग महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए गए संवैधानिक और वैधानिक सुर क्षा उपायों सम्बन्धी सभी मामलों का अध्ययन करना, महिलाओं सम्बन्धी मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और जहाँ आवश्यक हो संशोधन का सुझाव देने का कार्य करता है। यह महिलाओं के अधिकारों सम्बन्धी शिकायतों की जाँच करता है। असहाय महिलाओं को कानूनी या अन्य तरह की सहायता देता है। क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं के कल्याण के लिए प्रत्येक राज्यों में महिला आयोग की शाखा खोला गया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1974 से प्रत्येक 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है जिसमें महिलाओं को मानवाधिकार के प्रति सचेत एवं जागरूक किया जाता है एवं इसके माध्यम से घरेलु हिंसा, महिला शसक्तिकरण के प्रति महिलाओं को जागरूक किया जाता है।

संवैधानिक रूप से महिलाओं को 72वां एवं 74वां संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में तथा नगरपालिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। लोकसभा एवं राज्यसभा में भी को 33 प्रतिशत सीट आरक्षित है।

भारत में महिलाओं के भेद–भाव को रोकने के लिए तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 1994 में कन्या भ्रूण हत्या को कानून बनाकर प्रतिबंध किया गया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाया गया। 2005 में सरकार ने घरेलु हिंसा कानून बनाकर महिलाओं को सम्पति का समान अधिकार प्रदान किया।

किसी भी राष्ट्र की परंपरा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है। महिलाएं समाज की रचनात्मक शक्ति होती है। आने वाले कल को सुधारने के लिए हमे आज की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना होगा। प्रत्येक महिलायें अपने मानवाधिकार को समझे, उसके प्रति जागरूक हो। अपने रूढ़िवादी प्रवृति हो अपने से हटाये तथा विकासवादी दृस्टि अपनाए। इस प्रकार महिलायें को सबल और सुदृढ़ बनाकर हम देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लाम्बा, एस०सी०, मानवाधिकार और पिछड़ा वर्ग, (2005), आविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान, पृष्ठ संख्या–143.
2. लाम्बा, एस० सी०, मानवाधिकार और दलित वर्ग, (2005), आविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान, पृष्ठ संख्या–115.
3. सिंह, डी०पी०, मानवाधिकार और महिलाएं, (2011), शांन्ति पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–241.
4. सिंह, वैकुलनाथ, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, (2005), ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ–252 .
5. प्रसाद, नीता, योजना(अप्रैल 2011), योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, पृष्ठ–35 .

*****